

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक—.....

संख्या :- 5 नि०गो०वि०(1) 24/2025..... डा० रमेश कुमार, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा सम्प्रति सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, पटना के विरुद्ध जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा के पद पर योगदान दिये जाने पश्चात् पशुपालन, निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 2071 (नि०), दिनांक 17.06.2022 की अवहेलना करते हुए निदेशक, पशुपालन के पूर्वानुमति के बिना 09 पदाधिकारियों तथा 21 कर्मियों को कार्यभारित/प्रतिनियुक्त/अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के आरोप के लिए आरोप-पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 281 नि०गो०, दिनांक 12.06.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

उक्त आरोपों के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 1252, दिनांक 25.06.2026 से डा० कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। उक्त लिखित अभिकथन में डा० कुमार के द्वारा अंकित किया गया कि दिनांक 01.07.2024 को जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा के पद पर योगदान देने के उपरांत उन्होंने पाया कि जिले के विभिन्न पशु चिकित्सालयों/कार्यालयों में मानवबल (यथा पशु चिकित्सकों, लिपिकों, डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी) की अत्यधिक कमी और अव्यवस्था है। जिले के छः प्रखंडों के पशु चिकित्सालय एवं छः पंचायत स्तरीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना नहीं थी तथा पद रिक्त थे। जिले में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत) का पद रिक्त था। जिले में मात्र 04 पशुधन सहायक एवं 14 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की पदस्थापना थी। ऐसे में कार्य के सुचारु रूप से संपादन हेतु पशु चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त कार्यभारित करना आवश्यक था। जिले में विगत 02 वर्षों से भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत) एवं 01 वर्ष से सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का पद रिक्त है। राजकीय पशु चिकित्सालय, बिहार शरीफ जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल को 24x7 क्रियाशील रखने के लिए चिकित्सकों की भारी कमी थी। यदि वहां अतिरिक्त प्रभार या स्थानीय व्यवस्था के तहत पशु चिकित्सकों/कर्मियों की तैनाती नहीं की जाती तो अस्पताल सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पाता और विभागीय आदेशों/माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशों की अवहेलना होती एवं पशुपालकों के साथ पशुओं का नुकसान होता। डा० कुमार का यह भी कहना है कि यह व्यवस्था विशम परिस्थितियों में केवल कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये की गई थी। आन्तरिक प्रभारों के कारण किसी भी कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय लाभ या भत्ता नहीं दिया गया है। जिससे राज्य सरकार के राजस्व पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ा है।

डा० कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि पशुपालन निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1834, दिनांक 19.06.2009 द्वारा सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर अपने अधीनस्थ कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाय एवं कार्यहित में यदि आवश्यक हो तो निदेशक के पूर्वानुमति प्राप्त कर ही स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाय। कालांतर में ऐसी सूचना प्राप्त होने लगी कि उक्त आदेश का अवहेलना करते हुए क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति क्षेत्रीय निदेशक एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से की जा रही है। इसी कारण पशुपालन निदेशालय द्वारा पुनः आदेश ज्ञापांक 2071 (नि०), दिनांक 17.06.2022 निर्गत हुआ। जिसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कर्मियों के पूर्व में की गयी सभी स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति आदेश को रद्द करते हुए सभी क्षेत्रीय निदेशक एवं सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को सतर्क करते हुए निदेश दिया गया कि भविष्य में इसकी पूर्वानुमति नहीं करें।

कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश डा० कुमार द्वारा हो सकता है कार्यहित में एवं सभी कार्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए दिया गया हो। परन्तु जैसा कि उपयुक्त पशुपालन निदेशालय के आदेश में स्पष्ट निदेश अंकित है कि कार्यहित में यदि आवश्यक हो तो निदेशक की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति किया जाय। लेकिन डा० कुमार द्वारा जितने भी स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति किया गया है उसमें निदेशक, पशुपालन का पूर्वानुमति नहीं ली गयी है। अगर चतुर्थवर्गीय कर्मियों को कार्यहित में कार्यभारित करना जरूरी ही था तो डा० कुमार को कार्यभारित कर्मियों के संबंध में निदेशक, पशुपालन से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करता है कि डा० कुमार द्वारा पशुपालन निदेशालय के उक्त प्रश्नगत आदेश का उल्लंघन किया गया है। डा० कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इस बात को स्वीकार भी किया गया है।

उक्त गठित आरोपों व डा० कुमार से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत डा० कुमार के बचाव का लिखित अभिकथन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और उक्त कृत्य के लिए उन्हें निन्दन की सजा अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा० रमेश कुमार, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा सम्प्रति सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, पटना को आरोप वर्ष 2024-25 के लिए निन्दन की सजा अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 5 नि०गो०वि०(1) 24/2025-...../

पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 5 नि०गो०वि०(1) 24/2025-...../

पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 5 नि०गो०वि०(1) 24/2025- 452 नि० 5119

पटना-15, दिनांक- 3/3/2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा/पटना/डा० रमेश कुमार, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा सम्प्रति सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, पटना/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी-01 एवं 02/विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं कोषागार पदाधिकारी, पटना को मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.9.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

9